रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-टी.एन.-अ.-06122024-259219 CG-TN-E-06122024-259219

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 975] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 5, 2024/ अग्रहायण 14, 1946 No. 975] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 5, 2024/ AGRAHAYANA 14, 1946

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय

अधिसूचना

चेन्न्ई, 30 अक्टूबर, 2024

सं.आईएमयू/मुख्यालय/एडीएम/अधिसूचना/2024/02—भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22) की धारा 47(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिसूचना सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:

#	क़ानून/अध्यादेश/अधि सूचना	विवरण	कार्यकारी परिषद संकल्प
1	2022 का अध्यादेश 02	सहायक प्राध्यापक (मरीन इंजीनियरिंग) के पद के लिए भर्ती नियम	[ईसी 2018-43-06 दिनांक 29-01-2018, ईसी 2022-63-17 दिनांक 15-02-2022 द्वारा संशोधित] ईसी 2024-78-20 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
2	2015 का अध्यादेश 39	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -सहायक	[ईसी 2016-34-08 दिनांक 23-05-2016] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित

7885 GI/2024 (1)

3	2015 का अध्यादेश 40	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -सहायक (वित्त)	ईसी 2016-34-08 दिनांक 23-05-2016] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
4	2015 का अध्यादेश 37	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -सहायक रजिस्ट्रार	[ईसी 2015-32-15 दिनांक 21-08-2015] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
5	2015 का अध्यादेश 38	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -सहायक रजिस्ट्रार (वित्त)	[ईसी 2015-32-15 दिनांक 21-08-2015] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
6	2015 का अध्यादेश 36	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -उप रजिस्ट्रार	[ईसी 2014-28-26 दिनांक 26-06-2014] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 और ईसी 2024-80-01 दिनांक 23-09-2024 द्वारा संशोधित
7	सहायक अभियंता (सिविल/इलेक्ट्रिकल) 2015 का अध्यादेश 30	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -सहायक अभियंताओं	[ईसी 2015-31-37 दिनांक 26-06-2015] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
8	2015 का अध्यादेश 10	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -निजी सचिव	[ईसी 2015-30-24 दिनांक 25-02-2015, ईसी 2017-38-33 दिनांक 28-03-2017 द्वारा संशोधित] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
9	2020 का अध्यादेश 05	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -अनुभाग अधिकारी	[[ईसी 2019-51-01 दिनांक 20-12-2019] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित
10	2020 का अध्यादेश 04	गैर-शिक्षण पदों के लिए भर्ती नियम -अनुभाग अधिकारी (वित्त)	[EC 2019-51-01 दिनांक 20-12-2019] ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित

ध्यान दें: इस दस्तावेज़ के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच किसी भी विसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

2022 का संशोधित अध्यादेश 02 [पैरा 8]

[ईसी 2018-43-06 दिनांक 29.01.2018 को ईसी-2022-63-17 दिनांक 15.02.2022 के माध्यम से संशोधित किया गया और ईसी 2024-78-20 दिनांक 05-07-2024 के माध्यम से फिर से संशोधित किया गया]

सहायक प्राध्यापक (मरीन इंजीनियरिंग) के पद के लिए भर्ती नियम

क्रमांक	पैरा-8.	श्रेणी 1
1	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	आवश्यक: a) महानिदेशालय (शिर्पिंग) द्वारा मान्यता प्राप्त एमईओ क्लास I (मोटर) योग्यता प्रमाणपत्र। b) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ में प्रबंधन स्तर पर न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए नौकायन का अनुभव।

वांछित:

- a) प्रासंगिक विषय में पीएचडी।
- b) यूजीसी/आईएमयू मानदंडों के अनुसार अनुसंधान प्रकाशन जैसे पुस्तकें/शोध पत्र/नीति पत्र।
- c) महानिदेशालय (शिपिंग) से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण का अनुभव।

श्रेणी 2:

आवश्यक:

a) (i) कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ समुद्री इंजीनियरिंग में बी.ई/बी.टेक डिग्री

और

(ii) कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ प्रासंगिक विषय में एम.ई/एम.टेक।

<u>वांछित:</u>

- a) प्रासंगिक विषय में पीएचडी।
- b) यूजीसी/आईएमयू मानदंडों के अनुसार अनुसंधान प्रकाशन जैसे पुस्तकें/शोध पत्र/नीति पत्र।
- c) महानिदेशालय (शिर्पिंग) से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण का अनुभव।
- d) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ में प्रबंधन स्तर पर न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए नौकायन का अनुभव।

श्रेणी 3:

आवश्यक:

- a) (i) कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ बी.ई./बी.टेक डिग्री के साथ-साथ महानिदेशालय (शिर्पिंग) द्वारा अनुमोदित पीजीडीएमई/जीएमई पाठ्यक्रम जिसमें कम से कम 55% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ और
 - (ii) कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड के साथ प्रासंगिक विषय में एम.ई/एम.टेक।

वांछित:

- a) प्रासंगिक विषय में पीएचडी।
- b) यूजीसी/आईएमयू मानदंडों के अनुसार अनुसंधान प्रकाशन जैसे पुस्तकें/शोध पत्र/नीति पत्र।
- c) महानिदेशालय (शिर्पिंग) से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण का अनुभव।
- d) लागू एसटीसीडब्ल्यू कन्वेंशन के अर्थ के तहत किसी भी स्तर पर न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए नौकायन का अनुभव।

नौकायन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को श्रेणी 2 और 3 के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

2015 का संशोधित अध्यादेश 39 [पैरा 10]

[कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या ईसी *2015-32-16* दिनांक *21-08-2015* और

ईसी 2016-34-08 दिनांक 23-05-2016 द्वारा संशोधित और ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित]

सहायक के पद के लिए भर्ती नियम

पैरा-10. भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।

सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। सीधी भर्ती ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 39 [पैरा 10] का पाठ उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2015 का संशोधित अध्यादेश 40 [पैरा 10]

[कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या ईसी *2015-32-16* दिनांक *21-08-2015* द्वारा संशोधित ईसी *2016-34-08* दिनांक *23-05-2016*

जिसे ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा आगे संशोधित किया गया]

सहायक (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम

पैरा-10. भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।

सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। सीधी भर्ती ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 40 [पैरा 10] का पाठ उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2015 का संशोधित अध्यादेश 37 [पैरा-10]

[कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या ईसी *2015-32-15* दिनांक *21-08-2015* के माध्यम से ईसी 2024-78-25

दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित)

सहायक रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम

पैरा -10.4 भर्ती की
विधि

3

सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन। सीधी भर्ती **ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट** और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 37 [पैरा 10] का पाठ उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2015 का संशोधित अध्यादेश 38 [पैरा-10]

[कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या ईसी *2015-32-15* दिनांक *21-08-2015* के माध्यम से ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित)

सहायक रजिस्ट्रार (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम

5	पैरा -10. भर्ती की विधि	सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन। सीधी भर्ती ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।
---	-------------------------------	---

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 38 [पैरा-10] का पाठ उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2015 का संशोधित अध्यादेश 36 [पैरा-10]

[कार्यकारी परिषद के संकल्प संख्या ईसी 2015-31-42 दिनांक 26-06-2015 के माध्यम से ईसी 2016-36-29 दिनांक 28-09-2016 संशोधित जिसे ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा आगे संशोधित किया गया]

उप रजिस्ट्रार के पद के लिए भर्ती नियम

6	-44 -	सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन। सीधी भर्ती ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।
---	------------------	--

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 36 का पाठ **[पैरा-10]** उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।**2015 का** संशोधित अध्यादेश 30 **[पैरा-10]**

[कार्यकारी परिषद संकल्प संख्या ईसी *2015-31-37* दिनांक *26-06-2015* माध्यम से ईसी 2024-78-25

दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित)

सहायक अभियंता के पद के लिए भर्ती नियम

	पैरा-10.	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/सीधी भर्ती। सीधी भर्ती ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट और व्यक्तिगत	
7	भर्ती की	साक्षात्कार के माध्यम से की जाएगी।	
	विधि.		

ध्यान दें: 2015 के मौजूदा अध्यादेश 30 [पैरा-10] का पाठ उपरोक्त के अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2015 का संशोधित अध्यादेश 10 [पैरा-10]

[ईसी 2015-30-24 दिनांक 25-02-2015। ईसी 2017-38-33 दिनांक 28-03-2017 ईसी 2024-78-25

दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित)

निजी सचिव पद के लिए भर्ती नियम

पैरा - 10. भर्ती की विधि, चाहे सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न विधि द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत सीधी भर्ती/पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा। सीधी भर्ती **ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट** और टाइपिंग में कौशल परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। केवल स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण होने वाले व्यक्तियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। (कोई साक्षात्कार नहीं होगा)। पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति और आमेलन के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2015 [पैरा-10] के मौजूदा अध्यादेश 10 का पाठ उपरोक्त अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2020 का संशोधित अध्यादेश 05 [पैरा-10]

[ईसी-2019-51-01 दिनांक 20.12.2019 को ईसी 2024-78-25 दिनांक 05-07-2024 द्वारा संशोधित)

अनुभाग अधिकारी (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम

9	पैरा-10- भर्ती की विधि।	50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। सीधी भर्ती द्वारा: 50%। सीधी भर्ती केवल ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2020 [पैरा-10] के मौजूदा अध्यादेश 05 का पाठ उपरोक्त अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2020 का संशोधित अध्यादेश 04

/ईसी-2019-51-01 दिनांक 20.12.2019 को ईसी 2024-78-25 दिनांक 05

-07-2024 द्वारा संशोधित)

अनुभाग अधिकारी (वित्त) के पद के लिए भर्ती नियम

10	पैरा-10- भर्ती की विधि।	50% पदोन्नति द्वारा, अन्यथा प्रतिनियुक्ति द्वारा। सीधी भर्ती द्वारा: 50%। सीधी भर्ती केवल ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति के मामले में ऑनलाइन/ऑफ़लाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आवश्यक नहीं है।

ध्यान दें: 2020 [पैरा-10] के मौजूदा अध्यादेश 04 का पाठ उपरोक्त अनुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा।

के. सरवणन, कुलसचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./744/2024-25]

INDIAN MARITIME UNIVERSITY NOTIFICATION

Chennai, the 30th October, 2024

No.IMU/HQ/ADM/Notification/2024/02—In exercise of the powers conferred by Section 47(1) of the Indian Maritime University Act,2008 (22 of 2008), the following Notification are published for general information:

#	Statute/Ordinance/ Notification	Description	Executive Council Resolution
1	Ordinance 02 of 2022	Recruitment Rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering)	[EC 2018-43-06 dt 29-01-2018, Amended vide EC 2022-63-17 dt 15-02-2022]
			Amended vide EC 2024-78-20 dated 05-07-2024
2	Ordinance 39 of 2015	Recruitment Rules for Non-	[EC 2016-34-08 dt 23-05-2016]
		Teaching Posts-Assistant	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
3	Ordinance 40 of 2015	Recruitment Rules for Non-	[EC 2016-34-08 dt 23-05-2016]
		Teaching Posts-Assistant (Finance)	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
4	Ordinance 37 of 2015	Recruitment Rules for Non-	[EC 2015-32-15 dt 21-08-2015]
		Teaching Posts- Assistant Registrar	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
5	Ordinance 38 of 2015	Recruitment Rules for Non-	[EC 2015-32-15 dt 21-08-2015]
		Teaching Posts- Assistant Registrar (Finance)	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
6	Ordinance 36 of 2015	Recruitment Rules for Non-	[EC 2014-28-26 dt 26-06-2014]
		Teaching Posts- Deputy Registrar	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024 & EC 2024-80-01 dated 23.09.2024
7	Assistant Engineer	Recruitment Rules for Non-	[EC 2015-31-37 dt 26-06-2015]
	(Civil/Electrical) Ordinance 30 of 2015	Teaching Posts-Assistant Engineer	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
8	Ordinance 10 of 2015	Recruitment Rules for Non- Teaching Posts- Private Secretary	[EC 2015-30-24 dt 25-02-2015, Amended vide EC 2017-38-33 dt 28- 03-2017]
			Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
9	Ordinance 05 of 2020	Recruitment Rules for Non-	[[EC 2019-51-01 dt 20-12-2019]
		Teaching Posts-Section Officer	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024
10	Ordinance 04 of 2020	Recruitment Rules for Non- Teaching Posts-Section	[EC 2019-51-01 dt 20-12-2019]
		Officer (Finance)	Amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024

Note: In case of any discrepancy between English and Hindi version of this document, the English version shall prevail.

Amended Ordinance 02 of 2022 [Para 8]

[EC 2018-43-06 dated 29.01.2018 amended vide EC-2022-63-17 dated 15.02.2022 further amended vide EC 2024-78-20 dated 05-07-2024]

Recruitment rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering)

	Recruitment rules for the post of Assistant Professor (Marine Engineering)			
S.No	Para-8. Educational and	Category 1		
	other qualifications required for Direct Recruitment	Essential:		
1		a) Directorate General (Shipping) recognized MEO Class I (Motor) Certificate of Competency.		
		b) Sailing experience for a minimum period of 6 months at management level within the meaning of STCW Convention in force.		
		Desirable:		
		a) PhD in relevant discipline.		
		b) Research publications such as books/ research papers/ policy papers as per the UGC/IMU norms.		
		c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) recognized training institutes.		
		Category 2:		
		Essential:		
		a) (i)B.E/B.Tech Degree in Marine Engineering with at least 55% marks or an equivalent grade		
		and		
		(ii) M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade.		
		Desirable:		
		a) PhD in relevant discipline.		
		b) Research publications such as books/ research papers/ policy papers as per the UGC/IMU norms.		
		c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) recognized training institutes.		
		d) Sailing experience for a minimum period of 6 months at management level within the meaning of STCW Convention in force.		
		Category 3:		
		Essential:		
		a) (i) A B.E/B.Tech Degree with at least 55% marks or an equivalent grade along with PGDME/GME course approved by Directorate General (Shipping) with at least 55% marks or an equivalent grade and		
		(ii) M.E/M.Tech in relevant discipline with at least 55% marks or an equivalent grade.		
		Desirable:		
		a) PhD in relevant discipline.		
		b) Research publications such as books/ research papers/ policy papers as per the UGC/IMU norms.		
		c) Teaching experience in Directorate General (Shipping) recognized training institutes.		

d) Sailing experience for a minimum period of 6 months at any level within the meaning of STCW Convention in force.
Candidates having sailing experience will be given preference for Category 2 & 3.

Note: The text of existing Ordinance 02 of 2022 (Para 8) shall be replaced as above.

Amended Ordinance 39 of 2015 [Para 10]

[vide Executive Council Resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015 and amended vide EC 2016-34-08 dated 23-05-2016 further amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024]

Recruitment Rules for the post of Assistant

2	whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption	By Direct Recruitment/ Deputation /Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test. (There will be no Interview). Online/ Offline Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
---	--	--

Note: The text of existing Ordinance 39 of 2015 [Para 10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 40 of 2015 [Para 10]

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-16 dated 21-08-2015amended vide EC 2016-34-08 dated 23-05-2016 further amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024]

Recruitment Rules for the post of Assistant(Finance)

	Para-10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be	Direct Recruitment will be done through an
3	filled by various methods.	no Interview). Online/ Offline Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.

Note: The text of existing Ordinance 40 of 2015 [Para 10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 37 of 2015 [Para 10]

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-15 dated 21-08-2015 amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar

Note: The text of existing Ordinance 37 of 2015 [Para-10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 38 of 2015 [Para-10]

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-32-15 dated 21-08-2015 amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Assistant Registrar (Finance)

5	Method of	Direct Recruitment /Promotion/ Deputation/ Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online/Offline Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
---	-----------	--

Note: The text of existing Ordinance 38 of 2015 [Para-10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 36 of 2015 [Para-10]

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-42 dated 26-06-2015 amended vide EC 2016-36-29 dated 28-09-2016 further amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024]

Recruitment Rules for the post of Deputy Registrar

6	Para -10. Method of recruitment.	Direct Recruitment / Promotion / Deputation / Absorption. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test and Personal Interview. Persons who have qualified in the Screening Test alone will be called for the Personal Interview. Online/Offline Screening Test is not necessary in the case of Promotion, Deputation and Absorption.
---	-----------------------------------	---

Note: The text of existing Ordinance 36 of 2015 [Para-10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 30 of 2015 [Para-10]

[vide Executive Council resolution No.EC 2015-31-37 dated 26-06-2015 amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Assistant Engineer

7	Para-10. Method of recruitment.	Deputation/Absorption/ Direct Recruitment. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test and Personal Interview.
---	------------------------------------	--

Note: The text of existing Ordinance 30 of 2015 [Para-10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 10 of 2015 [Para-10]

[EC 2015-30-24 dated 25-02-2015. Amended vide EC 2017-38-33 dated 28-03-2017 EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Private Secretary

Note: The text of existing Ordinance 10 of 2015 [Para-10] shall be replaced as above.

Amended Ordinance 05 of 2020 [Para-10]

[EC-2019-51-01 dated 20.12.2019 amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Section Officer

9	Para-10. Method of recruitment.	By Promotion 50%, failing which by deputation. By Direct Recruitment: 50%. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test only. Online/Offline Screening Test is not necessary in the case of Deputation and Promotion.

Note: The text of existing Ordinance 05 of 2020 [Para-10] shall be replaced as above.

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

Amended Ordinance 04 of 2020

[EC-2019-51-01 dated 20.12.2019 amended vide EC 2024-78-25 dated 05-07-2024)

Recruitment Rules for the post of Section Officer (Finance)

10	Para-10-Method of recruitment.	By Promotion 50%, failing which by deputation. By Direct Recruitment: 50%. Direct Recruitment will be done through an Online/Offline Screening Test only. Online/Offline Screening Test is not necessary in the case of Deputation and Promotion.

Note: The text of existing Ordinance 04 of 2020 [Para-10] shall be replaced as above.

K. SARAVANAN, Registrar [ADVT.-III/4/Exty./744/2024-25]